

डॉक्टर पहले अपना इलाज तो कर लें!

गौतम अडानी आदि के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत करना व इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना, अमेरिका की दादागिरी का सबूत है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 22 नवम्बर यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (डी.ओ.जे.) द्वारा भारतीय अधिकारी गौतम अडानी पर लाए गए प्रश्नावार व रिक्वेट के अधियोग का महत्व जनता को पूरी तरह समझ नहीं आया है।

पूरे विवर में अधिक व सामरिक मामलों में अपनी ही चलाने की अमेरिका की प्रवृत्ति को यहाँ समझना जरूरी है। यह, अमेरिका के महत्व का उसके प्रधान से अधिक फैलाव है।

अमेरिका के कानून तंत्र ने एक अधियोग के कानून प्रतीकारी को लेकर है। याद रहें, यह एक प्रेसेंटेशन अधिकारी, जिसे अमेरिका के नए नियन्त्रित साधनों ने चुना था, को सेस्स के लिए पैसे देने और नावालिंग के साथ यैन संबंध बनाने के अरोपी का सामना करना पड़ा था,

बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से इकार कर दिया था। यहाँ जीतने वाली परिवर्तन कार्यालय ने एक विवरण में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है।

- पर, अमेरिका का यह कृत्य आधारहीन नहीं, अमेरिका के कानून की दृष्टि से। अमेरिका के शेयर बाजार से शेयर जारी कर पैसा इकट्ठा करने की एक शर्त है, कि शेयर जारी करने से पहले।
- अडानी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है, क्योंकि, उसने अपनी कम्पनी के बारे में इस तथ्य को छुपाया, यानी उजागर नहीं किया कि अमेरिका के कानून मंत्रालय ने एक "इनकावायरी" खोल रखी है।
- अमेरिका के विधि मंत्रालय के अनुसार, जब तक कोई भी विदेशी कम्पनी अमेरिका के शेयर मार्केट में अपना शेयर नहीं बेचती, तब तक, उसने किस को कितनी रिश्वत दी, उससे अमेरिका के कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सम्बालने वाले विभाग को कोई रुचि नहीं, पर जब उसने अमेरिका के स्टॉफ एक्सचेंज में अपना शेयर बेचकर, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया, तब अमेरिका के "कानून व्यवस्था" के नियम कायदे उस पर लागू हो जाते हैं।
- अडानी युप की यह गलती उहें भारी पड़ेगी।
- यह भी सच है, कि, अगर भारत ऐसा ही कानून अपने संसद में पारित कर लेता है, तो क्या, वह उस कानून की, अमेरिका में अवेहनन करने वाले अमेरिकी नागरिक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है?

बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से इकार कर दिया था। यहाँ जीतने वाली परिवर्तन कार्यालय ने एक विवरण में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है।

एक विवरण में नैतिकता के उपदेश क्षेत्र में नहीं है, रिश्वत या कुछ और,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर : रॉन्ग साइड जा रही कार की ट्रोले से टक्कर में 5 मरे

पांचों युवक जिस कार में थे, उसे 4-5 दिन पहले ही सैकण्ड हैंड खरीदा गया था

उदयपुर, 22 नवम्बर (कास)। शहर के सुधोर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को रॉन्ग साइड जा रही एक कार को सामने से तेज गति में आ रहे ट्रोले ने टक्कर कर मार दी, जिससे कार सवार पांचों को मौत ही गई। पुलिस ने सभी ही पोस्टमर्टम कार्यालय का शोरी किया है। याद रहें, यह एक प्रतीक घटना में एक हैड कार्स्ट्रेल बल का बेटा भी शामिल है। पांचों मृतक जिस कार में सवार थे, उस सेकंड हैड कार को चार-पांच दिन पहले ही खरीदा था। पुलिस ने ट्रोले को निवासी रामपुरा चौराहा हाल ढीकती बाड़ा, हिंडूपुरा (34) पुरु भवनस्थाल जीनगढ़, गोपाल (27) पुरु गेहूरीलाल नंगारची खट्टीक निवासी इन्ड्रा कॉलोनी देलवाडा, गोपाल (27) पुरु गेहूरीलाल नंगारची निवासी हनुमारा कॉलोनी फतेहपुरा, पंकज (31) पुरु दिलीप नंगारची निवासी कुम्हरों का मोहल्ला छोटा जीनराह, उदयपुर पुलिस (22) पुरु बेदला, नारायणलाल (22) पुरु कांटेब्रेल के पार पर करियर है। सुनना मांगीलाल गमेती निवासी कानूनपुर खेडा एक कार में सवार होकर अपरो से देवारी की तरफ रोंग साइड जा रहे थे

सरकारी गवाह बन क्षमादान का कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर, 22 नवम्बर। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अधिकारी में चल रहे आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने सरकारी गवाह बनकर शमादान चाहने की मंशा देने हुए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया है, हालांकि अदालत ने करार के खारिज कर दिया है।

आर.जी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी गवाह बन कर क्षमादान प्रार्थ करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र अति सत्र न्यायालय ने खारिज किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानार द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चौदेल ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पूर्व में 67 लोगों के खिलाफ अरोप पत्र पेश की चुका है। अदालत ने कहा कि कटारा का अन्य आरोपी गारूपराम यादों का अत्य के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया अंतिम पृष्ठ पर)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दस साल पुराने तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई

आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया

साडुलपुर, (निस) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय ने लगभग दस साल पुराने अवैध डोडा-पोस्ट छिलका तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सत-सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

प्रकरण अनुसार 23 जून 2014 को तकलीन थाना अधिकारी गुरु भूमें रिंग पुलिस दल के साथ नंत्री नंदलाल मीणा को भादरा से चूरू जाने पर दुधाखारा तक एकटॉर ड्यूटी की तथा बास आते समय सिद्धमुख से पांच किलोमीटर दूर साडुलपुर को तरफ से हरियाणा नंबर थी काका जो आगे-आगे चल रही थी तथा पुलिस की गाड़ी देखकर कार चालक ने काका को तो जगति से सिद्धमुख की ओर भागाया, जिसमें दो व्यक्ति चल रहे थे। कार भगाने पर पुलिस ने लगाहग एक किलोमीटर तक पीछा कर पांच सिद्धमुख के पास आरोपियों को पुलिस ने रोका तथा चालक से कार को भगाने का कारण पूछा तो वह घबरा गया और संतोषजनक



राजगढ़ कोटॉर ने तस्करी के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई।

जबाब नहीं दे पाया। पुलिस ने पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम कीमती लाल पुरुष बहादुर सिंह बाजीगर दूसरे ने अपना नाम धर्मपाल बाजीगर जागीर।

सिंह बाजीगर निवासी रानिया चुंगी सिसास हरियाणा होना बताया। शक होने खोलकर चेक किया तो कट्टे में 28 फ्लाइट का कटा मिला। जिसको अपर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार किलो डोडा-पोस्ट छिलका भरा राजगढ़ द्वितीय ने की।

प्लास्टिक का कटा मिला। जिसको खोलकर चेक किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सुनील बेसर कालरी अपर लोक अधियोजक राजगढ़ द्वितीय ने की।

अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय ने फैसला सुनाया

व परमिट नहीं था। जिस पर पुलिस ने अवैध डोडा-पोस्ट छिलका तथा कार को जब कर देनी आरोपियों को प्रिपतर कर लिया तथा एन्डीपीस एक्स के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर चालान न्यायालय में पेश कर दिया।

मामले में न्यायाधीश अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय ललानी दीपक पराशर ने प्रतिवालियों पर आप साथ, गवाहों और सबूत का अवलोकन कर आरोपी कीमती लाल व धर्मपाल को दोषी माना तथा दोनों को सत-सात साल के कठोर कारावास व दंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सुनील बेसर कालरी अपर लोक अधियोजक राजगढ़ द्वितीय ने की।

के.डी.ए. के बिना अनुमोदन के काटी जा रही है कॉलोनियां
कॉलोनियों में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिला कलेक्टर से शिकायत की



कोटा विकास प्राधिकरण के अनुमोदन बिना ही कॉलोनी में भूखंड बेचे जा रहे हैं और निर्माण हो रहा है।

कोटा, (निस) शहर के आसपास बड़ी संख्या में कृषि भूमियों पर नई नई कॉलोनियों तो बन रही हैं लेकिन उन कॉलोनियों को कॉलोनी-नाइजर्स बिना केंद्रीय से अनुमोदन के ही काटकर बेच रही है। इसके अलावा खसरा न्यायालय के खाते दर्ज है। इसमें भी अवैध रूप से लाल नहीं उठा पर राज्यवाली नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को नक्षे में शामिल हो रहा है।

बोरेडोडा निवासी रामनिवास ने बताया जो बारं रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों का काटी जाने की ओर अधिकारियों को भनक तक नहीं उठाया। अवैध रूप से 4 से 6 मॉली तक बिना अनुमोदन के बहु-मॉली न्यायालय के कोटा विकास प्राधिकरण ने कोटा विकास व दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के केंद्रीय में शिकायत की ओर आवास के केंद्रीय में शामिल हो रहा है। इसके प्लाट न्यायालय के बाद इसका दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केंद्रीय में शामिल हो रहा है। हालांकि न्यायालय पूर्व में आधिकारी ने कोटा के कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

प्लाट न्यायालय के बाद भूखंड काटे गये थे अधिकारी जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केंद्रीय के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियों तो ही लौकिक केंद्रीय उनका कोटा विकास व दर्जा भू-मालीया नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को नक्षे में शामिल हो रहा है।

बोरेडोडा निवासी रामनिवास ने बताया जो बारं रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों का काटी जाने की ओर अधिकारियों को भनक तक नहीं उठाया। अवैध रूप से 4 से 6 मॉली तक बिना अनुमोदन के बहु-मॉली न्यायालय के कोटा विकास प्राधिकरण ने कोटा विकास व दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के केंद्रीय में शिकायत की ओर आवास के केंद्रीय में शामिल हो रहा है। इसके प्लाट न्यायालय के बाद इसका दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केंद्रीय में शामिल हो रहा है। हालांकि न्यायालय पूर्व में आधिकारी ने कोटा के कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

प्लाट न्यायालय के बाद भूखंड काटे गये थे अधिकारी जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केंद्रीय के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियों तो ही लौकिक केंद्रीय उनका कोटा विकास व दर्जा भू-मालीया नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को नक्षे में शामिल हो रहा है।

बोरेडोडा निवासी रामनिवास ने बताया जो बारं रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों का काटी जाने की ओर अधिकारियों को भनक तक नहीं उठाया। अवैध रूप से 4 से 6 मॉली तक बिना अनुमोदन के बहु-मॉली न्यायालय के कोटा विकास प्राधिकरण ने कोटा विकास व दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के केंद्रीय में शिकायत की ओर आवास के केंद्रीय में शामिल हो रहा है। इसके प्लाट न्यायालय के बाद इसका दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केंद्रीय में शामिल हो रहा है। हालांकि न्यायालय पूर्व में आधिकारी ने कोटा के कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

प्लाट न्यायालय के बाद भूखंड काटे गये थे अधिकारी जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केंद्रीय के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियों तो ही लौकिक केंद्रीय उनका कोटा विकास व दर्जा भू-मालीया नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को नक्षे में शामिल हो रहा है।

बोरेडोडा निवासी रामनिवास ने बताया जो बारं रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों का काटी जाने की ओर अधिकारियों को भनक तक नहीं उठाया। अवैध रूप से 4 से 6 मॉली तक बिना अनुमोदन के बहु-मॉली न्यायालय के कोटा विकास प्राधिकरण ने कोटा विकास व दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के केंद्रीय में शिकायत की ओर आवास के केंद्रीय में शामिल हो रहा है। इसके प्लाट न्यायालय के बाद इसका दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केंद्रीय में शामिल हो रहा है। हालांकि न्यायालय पूर्व में आधिकारी ने कोटा के कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

प्लाट न्यायालय के बाद भूखंड काटे गये थे अधिकारी जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केंद्रीय के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियों तो ही लौकिक केंद्रीय उनका कोटा विकास व दर्जा भू-मालीया नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को नक्षे में शामिल हो रहा है।

बोरेडोडा निवासी रामनिवास ने बताया जो बारं रोड सिद्धि विनायक आवास कॉलोनियों का काटी जाने की ओर अधिकारियों को भनक तक नहीं उठाया। अवैध रूप से 4 से 6 मॉली तक बिना अनुमोदन के बहु-मॉली न्यायालय के कोटा विकास प्राधिकरण ने कोटा विकास व दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के केंद्रीय में शिकायत की ओर आवास के केंद्रीय में शामिल हो रहा है। इसके प्लाट न्यायालय के बाद इसका दर्जा भी बढ़ाया है। अब शहर के आसपास के क्षेत्र भी केंद्रीय में शामिल हो रहा है। हालांकि न्यायालय पूर्व में आधिकारी ने कोटा के कॉलोनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

प्लाट न्यायालय के बाद भूखंड काटे गये थे अधिकारी जमीनों को बेचा जा चुका है जिससे अब केंद्रीय के पास जमीनों की कमी महसूस की जा रही है। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमियों तो ही लौकिक केंद्रीय उनका कोटा विकास व दर्जा भू-मालीया नियंत्रण करने के खाते दर्ज है। उनका फायदा भू-मालीया नियंत्रण के काले नक्षे में शामिल हो रहा है। कृषि भूमि का केंद्रीय में अनुमोदन करवाये जाने वाले को

